

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: चिप्र / मेडिको लीगल / 2010 / 824-909

दिनांक: 14-07-2010

परिपत्र

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.15 (25) चिस्वा/2/95 पार्ट दिनांक 27-11-2006 के द्वारा मेडिको लीगल कैसेज के विषय में दिशा निर्देश जारी किये गये है। जिसके बिन्दु संख्या 6 के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि जिन चिकित्सा संस्थानों पर रेडियोजोजिस्ट उपलब्ध नहीं है उन संस्थानों की रेडियोलोजिस्ट कैसेज की राय सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान में कार्यरत उस विषय का विशेषज्ञ चिकित्सक देगा।


समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अपने अधीन चिकित्सा संस्थानों में मेडिको लीगल कैसेज में उक्त निर्देशों की पालना अविलम्ब सुनिश्चित करवायें।

ED

निदेशक (एड्स)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-राजस्थान।
4. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
5. प्रभारी सेन्ट्रल सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्देशों को सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अप-लोड करने का श्रम करें।


निदेशक (एड्स)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।